



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012023-242030
CG-DL-E-17012023-242030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]
No. 284]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

का.आ. 298(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1969 (अ), दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 161 के संगारेड्डी से तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा खंड (140 किलोमीटर की लंबाई के लिए) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) को सौंपा है;

यह सूचित किया जाता है कि किमी 96.035 पर धर्माराम शुल्क प्लाजा से संबंधित पूर्व में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 143(अ) दिनांक 11.01.2022 एवं 57.850 किमी पर कोल्लापल्ले गांव में अस्थायी शुल्क प्लाजा से संबंधित अधिसूचना का.आ. 144 (अ) दिनांक 11.01.2022 को रोक दिया गया है।

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161 के कंडी से तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा खंड डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 135.751 (एनएच-65 के मौजूदा किमी. 498.250 से किमी. 140.873) तक के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए यांत्रिक वाहनो पर विनिर्दिष्ट सड़क खंड की निवल लंबाई 98.118 कि.मी. और 17.590 कि.मी (जिनकी लंबाई 1.759 कि.मी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) तथा बाईपास जिनकी लंबाई 35.874 कि.मी. (प्रत्येक की कीमत दस करोड़ से अधिक है), चार या अधिक अकेले खंड के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ़ गुणा की दर से सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनो पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृष्ट एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में तदनपल्ली गांव के पास एनएच-161 के 14.620 किमी/चैनज पर।	44.152 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में धर्मराम गांव के पास एनएच -161 के 96.035 किमी/चैनज पर।	53.966 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में तदनपल्ली गांव के पास एनएच-161 के 14.620 किमी/चैनज पर।	एनएच-161 का संगारेड्डी बाईपास	डिजाइन किमी 00.000	डिजाइन किमी 8.300	7.929	226.98	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच-161 का एंडोले - जोगीपेट बाईपास	डिजाइन किमी 26.000	डिजाइन किमी 36.900	10.900	312.02	
	एनएच-161 का शंकरमपेट बाईपास	डिजाइन किमी 60.900	डिजाइन किमी 63.600	2.441	83.47	
तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में धर्मराम गांव के पास एनएच -161	एनएच-161 का निजामपेट बाईपास	डिजाइन किमी 66.400	डिजाइन किमी 70.900	4.305	147.21	
	एनएच-161 का पितलाम बाईपास	डिजाइन किमी 89.000	डिजाइन किमी 91.300	2.233	64.07	

के 96.035 किमी/चैनेज पर।	एनएच-161 का पेड्डा कोडापगल बाईपास	डिजाइन किमी 99.350	डिजाइन किमी 101.640	2.223	63.78	
	एनएच -161 का मैनूर बाईपास	डिजाइन किमी 125.150	डिजाइन किमी 126.600	1.384	39.71	
	एनएच-161 का मदनूर बाईपास	डिजाइन किमी 128.710	डिजाइन किमी 133.300	4.459	127.93	
कुल				35.874		

3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी -4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले में तदनपल्ली गांव के पास एनएच-161 के 14.620 किमी/चैनेज पर।	0.978	9.780	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
तेलंगाना राज्य के कामारेड्डी जिले में धर्मारम गांव के पास एनएच -161 के 96.035 किमी/चैनेज पर।	0.781	7.810	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	1.759	17.590	

संरचनाओं का विवरण (60 मी. से अधिक) निम्नानुसार है:

क्रम सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	-0+031	0+031	इंटरचेंज	0.061
2	5+715	6+055	सीओएस बड़ा पुल	0.340
3	8+382	8+700	बड़ा पुल	0.318
4	61+479	61+610	बड़ा पुल	0.131
5	62+065	62+129	वीयूपी	0.064
6	63+002	63+066	वीयूपी	0.064
7	66+995	67+060	पुल	0.065
8	68+771	68+837	वीयूपी	0.066
9	70+768	70+832	वीयूपी	0.064
10	83+456	83+564	बड़ा पुल	0.108
11	91+116	91+183	वीयूपी	0.067
12	99+117	99+182	वीयूपी	0.065
13	101+286	101+353	वीयूपी	0.067
14	108+721	108+803	बड़ा पुल	0.082
15	125+277	125+342	वीयूपी	0.066
16	128+877	128+943	वीयूपी	0.066
17	132+587	132+652	वीयूपी	0.065
	कुल			1.759

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/-रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुरात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **4338.87 करोड़ रूपए** है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं तथा अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/टेक/एपी/सैन-नेन/ पैकेज-III/2017-18/ई]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2023

S.O. 298(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O . 1969 (E) dated 17th May, 2018, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Sangareddy to Telangana/Maharashtra Border Section (for a length of 140 kilometers) of National Highway number 161 in the State of Telangana to National Highways Authority of India (hereinafter referred to as “Authority”);

It is to inform that, the earlier published Gazette notifications S.O. 143(E) dated 11.01.2022 pertaining to Dharmaram Fee Plaza at Km 96.035 and S.O. 144(E) dated 11.01.2022 pertaining to Temporary Fee Plaza at Kollapalle village at Km 57.850 are suppressed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 98.118 km for the use of four and more alone section and for equivalent structure length (having length more than 60 m) of 17.590 km. (having length of 1.759 km.) and at one and half times of the base rate for bypasses having length of 35.874 km (each costing more than ten crores) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Kandi to Telangana/Maharashtra Border Section from Design kilometer 0.000 to kilometer 135.751 (existing km. 498.250 of NH-65 to km. 140.873) of National Highway number 161 in the State of Telangana and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

- The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch 14.620 of NH-161 near Taddanpally village in Sangareddy district of State Telangana	44.152 (Excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch 96.035 of NH-161 near Dharmaram village in Kamareddy district of State Telangana	53.966 (Excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

- In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s): -

TABLE - 3						
Location of Fee Plaza (Chainage)	Name of bypass	Taking off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km/Ch 14.620 of NH-161 near Taddanpally village in Sangareddy district of State Telangana	Sangareddy Bypass of NH-161	Design 00.000 km	Design 8.300 km	7.929	226.98	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
	Andole - Jogipet Bypass of NH-161	Design 26.000 km	Design 36.900 km	10.900	312.02	
	Shankarampet Bypass of NH-161	Design 60.900 km	Design 63.600 km	2.441	83.47	
At Km/Ch	Nizampet Bypass	Design km	Design km	4.305	147.21	

96.035 of NH-161 near Dharmaram village in Kamareddy district of State Telangana	of Nh-161	66.400	70.900			
	Pitlam Bypass of NH-161	Design km 89.000	Design km 91.300	2.233	64.07	
	Pedda Kodapgal Bypass of NH-161	Design km 99.350	Design km 101.640	2.223	63.78	
	Mainur Bypass of NH-161	Design km 125.150	Design km 126.600	1.384	39.71	
	Madnoor Bypass of NH-161	Design km 128.710	Design km 133.300	4.459	127.93	
Total				35.874		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

TABLE-4			
Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch 14.620 of NH-161 near Taddanpally village in Sangareddy district of State Telangana	0.978	9.780	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km 96.035 near Dharmaram village in Kamareddy district in Telangana state of NH-161	0.781	7.810	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	1.759	17.590	

The details of Structures (> 60m length) are as under: -

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	-0+031	0+031	Interchange	0.061
2	5+715	6+055	CoS Major Bridge	0.340
3	8+382	8+700	Major Bridge	0.318
4	61+479	61+610	Major Bridge	0.131
5	62+065	62+129	VUP	0.064
6	63+002	63+066	VUP	0.064
7	66+995	67+060	Bridge	0.065
8	68+771	68+837	VUP	0.066
9	70+768	70+832	VUP	0.064
10	83+456	83+564	Major Bridge	0.108
11	91+116	91+183	VUP	0.067
12	99+117	99+182	VUP	0.065
13	101+286	101+353	VUP	0.067
14	108+721	108+803	Major Bridge	0.082
15	125+277	125+342	VUP	0.066
16	128+877	128+943	VUP	0.066
17	132+587	132+652	VUP	0.065
	Total			1.759

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 315.00 (Rupees Two

Hundred Eighty-Five only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

TABLE-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month From date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.
10. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.
11. The estimated capital cost of the project is Rupees 4338.87 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/Tech/AP/NH-161/San-Nan/Pkg-III/2017-18/E]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.